

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-31122024-259754
SG-DL-E-31122024-259754xxxGIDHxxx
xxxGIDExxxअसाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 23, 2024/पौष 2, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 302
No. 332]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 23, 2024/PAUSHA 2, 1946	[N. C. T. D. No. 302

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2024

सं. 33/2023-राज्य कर

सं. फा.3(18)/वित्त(व्यय-I)/2024-25/डीएस-I/1120—: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 158क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, 'लेखा संकलक को ऐसे तंत्र के रूप में अधिसूचित करती है जिससे दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 158क के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल द्वारा सूचना साझी की जा सकेगी।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

स्पष्टीकरण इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "लेखा संकलक" से कोई ऐसी गैर-वित्तीय बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45वक के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प,लीसी निदेशों के अनुसार किसी लेखा संकलक का कारबार करती है और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी लेखा

संकलक (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में यथा परिभाषित है

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव (वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMEN

NOTIFICATION

Delhi, the 23rd December, 2024

No. 33/2023-State Tax

No. F. 3 (18)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/1120.—In exercise of the powers conferred by section 158A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) , the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies “Account Aggregator” as the systems with which information may be shared by the common portal based on consent under Section 158A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

Explanation: For the purpose of this notification, “Account Aggregator” means a non-financial banking company which undertakes the business of an Account Aggregator in accordance with the policy directions issued by the Reserve Bank of India under section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and defined as such in the Non-Banking Financial Company - Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi.

RAVINDER KUMAR, Jt. Secy. (Fin)